



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-16122020-223715

CG-DL-W-16122020-223715

प्राधिकार स प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 28] नई दिल्ली, दिसम्बर 6—दिसम्बर 12, 2020, शनिवार/अग्रहायण 15—अग्रहायण 21, 1942

No. 28] NEW DELHI, DECEMBER 6—DECEMBER 12, 2020, SATURDAY/AGRAHAYANA 15—AGRAHAYANA 21, 1942

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)

PART II—Section 3—Sub-section (iii)

केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए साधारण आदेश और अधिसूचनाएं
Orders and Notifications issued by the Central Authorities (Other than the Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 2020

आ. अ. 115.— यतः, आयोग ने महाराष्ट्र के 16-नांदेड़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए अपनी अधिसूचना सं.-464/EPS/2019 (2) दिनांक 19.03.2019 के द्वारा लोकसभा के साधारण निर्वाचन, 2019 आयोजित करने की घोषणा की थी और सोनसाले सुनील मनोहरराव पूर्वोक्त निर्वाचन में निर्वाचन लड़े/लड़ीं थे;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 (1) के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी या तो स्वयं या अपने निर्वाचन एजेंट द्वारा, (वह तिथि जब उसे नाम-निर्देशित किया गया है) और (उसके परिणाम की घोषणा की तिथि), दोनों तारीखें सम्मिलित, के बीच उसके द्वारा या उसके निर्वाचन एजेंट द्वारा उपगत या अधिकृत निर्वाचन संबंधी सभी खर्चों का एक पृथक और सही लेखा रखेगा और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी को दर्ज करेगा जो धारा 77 के अंतर्गत उसके द्वारा अथवा उसके निर्वाचन एजेंट द्वारा रखे गए लेखे की सत्य प्रतिलिपि होगी;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961, के नियम 89 (2) के अधीन, मुख्य निर्वाचन अधिकारी के दिनांक 15.09.2019 के पत्र सं. ELR-2019/CR 804/19/33 के जरिए प्राप्त, जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर, नांदेड़ जिला, महाराष्ट्र द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, महाराष्ट्र के 16-नांदेड़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, सोनसाले सुनील मनोहरराव, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे/रहीं हैं;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, नांदेड़ जिला, महाराष्ट्र, की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के तहत निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहने पर, सोनसाले सुनील मनोहरराव को दिनांक 13.01.2020 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (6) के अनुसार, दिनांक 13.01.2020 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के माध्यम से, सोनसाले सुनील मनोहरराव को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के भीतर लेखे न प्रस्तुत कर पाने का कारण स्पष्ट करते हुए आयोग को लिखित में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और निर्वाचन व्यय का अपना लेखा भी दाखिल करें/अपने लेखे में त्रुटियों को सही करें और उसे संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करें;

और यतः, सोनसाले सुनील मनोहरराव की पत्नी द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 20.01.2020 को प्राप्त किया गया था। अभ्यर्थी की पत्नी से प्राप्त पावती रसीद, जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर, नांदेड़ जिला द्वारा दिनांक 21.01.2020 के अपने पत्र सं. 2019/Sasha-3/Election/CR द्वारा आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, नांदेड़ द्वारा दिनांक 03.09.2020 के अपने पत्र सं. 2020/GB-3/Election/EL.Exp/CR के द्वारा प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह कहा है कि सोनसाले सुनील मनोहरराव, ने निर्वाचन का लेखा प्रस्तुत नहीं किया;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि सोनसाले सुनील मनोहरराव निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं और असफलता के लिए उनके पास कोई समुचित कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उसके पास उस असफलता के लिए कोई समुचित कारण या न्यायोचित्य नहीं है,

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा."

अब इसीलिए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा महाराष्ट्र राज्य के 16- नांदेड़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, सोनसाले सुनील मनोहरराव, निवासी- सखोजीनगर महाराणा प्रताप चौक, नांदेड़. तां.जिला. नांदेड़, पिनकोड-431905, को संसद के किसी भी सदन या राज्य या संघ राज्य-क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद के लिए सदस्य चुने जाने या होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं. 76/एम.टी.-एच.पी./16/2019]

आदेश से,

ए.एन.दास, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDER

New Delhi, the 7th December, 2020

O.N. 115.— WHEREAS, the Commission had declared to hold the General Election to Lok Sabha, 2019 vide its Notification No.464/EPs/2019 (2) dated 19.03.2019 for 16- Nanded Parliamentary Constituency of Maharashtra State and **Sonsale Sunil Manoharrao** had contested the aforesaid election;

AND WHEREAS, as per Section 77 (1) of the Representation of the People Act, 1951, every candidate at election shall, either by himself/herself or by his/her election agent, keep a separate and correct account of all expenditure in connection with the election incurred or authorized by him/her or by his/her election agent between (the date on which he has been nominated) and the date of declaration of the result thereof, both dates inclusive & as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within thirty days from the date of election of the returned candidate lodge account of his/her election expenses with the District Election Officer (DEO) which shall be in a true copy of the account kept by him/her or by his/her election agent under Section 77;

AND WHEREAS, as per the report under rule 89(2) of the Conduct of Elections Rules, 1961, submitted by the District Election Officer and Collector, Nanded District, Maharashtra, through the Chief Electoral Officer's letter No. ELR-2019/CR 804/19/33 dated 15.09.2019 **Sonsale Sunil Manoharrao** contesting candidate from 16- Nanded Parliamentary Constituency of Maharashtra, has failed to lodge any account of his/her election expenses as required by law;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Nanded District, Maharashtra, a Show Cause notice dated 13.01.2020 was issued by the Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 to **Sonsale Sunil Manoharrao** for non submission of account of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice dated 13.01.2020, **Sonsale Sunil Manoharrao** was directed to submit his/her representation in writing in the Commission explaining the reason for non submission of accounts and also to lodge his/her accounts of election expenses/rectify the defects in his/her accounts and submit the same to the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by the wife of **Sonsale Sunil Manoharrao** on 20.01.2020. Acknowledgement receipt obtained from the wife of candidate has been submitted to the Commission by District Election officer and Collector, Nanded District vide his letter No. 2019/Sasha-3/Election/CR dated 21.01.2020;

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by DEO, Nanded vide his letter No. 2020/GB-3/Election/El.Exp/CR dated 03.09.2020, it has been stated that **Sonsale Sunil Manoharrao** has not submitted the election expenses;

AND WHEREAS, the Commission satisfied that **Sonsale Sunil Manoharrao** has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act; and
- (b) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sonsale Sunil Manoharrao**, resident of Sakhojinagar, Maharana Pratap Chowk, Nanded, Ta. Dist. Nanded, Pincode- 431 905 the contesting candidate for the General Election to the Lok Sabha Election, 2019 from 16- Nanded Parliamentary Constituency of the State of Maharashtra to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[No.76/MT-HP/16/2019]

By Order,

A. N. DAS, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 2020

आ. अ. 116.—यतः, आयोग ने संघ प्रदेश दादर एवं नागर हवेली के यू- 03- दादर एवं नागर हवेली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए अपनी अधिसूचना सं.-464/EPS/2019 (3) दिनांक 28.03.2019 के द्वारा लोकसभा के साधारण निर्वाचन, 2019 आयोजित करने की घोषणा की थी और **डोंगरकर ईश्वरभाई गोप्जीभाई** पूर्वोक्त निर्वाचन में निर्वाचन लड़े/लड़ीं थे;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 (1) के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी या तो स्वयं या अपने निर्वाचन एजेंट द्वारा, (वह तिथि जब उसे नाम-निर्देशित किया गया है) और (उसके परिणाम की घोषणा की तिथि), दोनों तारीखें सम्मिलित, के बीच उसके द्वारा या उसके निर्वाचन एजेंट द्वारा उपगत या अधिकृत निर्वाचन संबंधी सभी खर्चों का एक पृथक और सही लेखा रखेगा और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी को दर्ज करेगा जो धारा 77 के अंतर्गत उसके द्वारा अथवा उसके निर्वाचन एजेंट द्वारा रखे गए लेखे की सत्य प्रतिलिपि होगी;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961, के नियम 89 (2) के अधीन, मुख्य निर्वाचन अधिकारी के दिनांक 08.07.2019 के पत्र सं. ADM/Election/2019/37 के जरिए प्राप्त, जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर, दादर एवं नागर हवेली, द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, संघ प्रदेश दादर एवं नागर हवेली के यू- 03- दादर एवं नागर हवेली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, **डोंगरकर ईश्वरभाई गोप्जीभाई**, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे/रहीं हैं;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, दादर एवं नागर हवेली, की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के तहत निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहने पर, **डोंगरकर ईश्वरभाई गोप्जीभाई** को दिनांक 10.01.2020 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (6) के अनुसार, दिनांक 10.01.2020 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के माध्यम से, **डोंगरकर ईश्वरभाई गोप्जीभाई** को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के भीतर लेखे न प्रस्तुत कर पाने का कारण स्पष्ट करते हुए आयोग को लिखित में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और निर्वाचन व्यय का अपना लेखा भी दाखिल करें/अपने लेखे में त्रुटियों को सही करें और उसे संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करें;

और यतः, **डोंगरकर ईश्वरभाई गोप्जीभाई** द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 17.01.2020 को प्राप्त किया गया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद, सहायक (इलेक्शन), दादर एवं नागर हवेली द्वारा दिनांक 24.01.2020 के अपने पत्र सं. ADM/Election/571/04/Part-II द्वारा आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, सहायक (इलेक्शन), दादर एवं नागर हवेली द्वारा दिनांक 11.02.2020 एवं 01.12.2020 के अपने पत्र सं. ADM/Election/571/04/Part-II के द्वारा प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह कहा है कि **डोंगरकर ईश्वरभाई गोप्जीभाई**, ने निर्वाचन का लेखा प्रस्तुत नहीं किया;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि **डोंगरकर ईश्वरभाई गोप्जीभाई** निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं और असफलता के लिए उनके पास कोई समुचित कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उसके पास उस असफलता के लिए कोई समुचित कारण या न्यायोचित्य नहीं है,

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा."

अब इसीलिए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा संघ प्रदेश दादर एवं नागर हवेली के यू- 03- दादर एवं नागर हवेली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, डोंगरकर ईश्वरभाई गोप्जीभाई, निवासी- 172-झाटीपाड़ा, डपाड़ा, सिल्वासा, दादर एवं नागर हवेली, पिन- 396 230, को संसद के किसी भी सदन या राज्य या संघ राज्य-क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद के लिए सदस्य चुने जाने या होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित घोषित करता है

[सं. 76/डी.एन.एच.-एच.पी./03/2019]

आदेश से,

सुमित मुखर्जी, वरिष्ठ प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 7th December, 2020

O.N. 116.—WHEREAS, the Commission had declared to hold the General Election to Lok Sabha, 2019 vide its Notification No.464/EPS/2019 (3) dated 28.03.2019 for U-03- Dadra and Nagar Haveli Parliamentary Constituency of Union Territory of Dadra and Nagar Haveli and **Dongarkar Ishwarbhai Gopjibhai** had contested the aforesaid election;

AND WHEREAS, as per Section 77 (1) of the Representation of the People Act, 1951, every candidate at election shall, either by himself/herself or by his/her election agent, keep a separate and correct account of all expenditure in connection with the election incurred or authorized by him/her or by his/her election agent between (the date on which he has been nominated) and the date of declaration of the result thereof, both dates inclusive & as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within thirty days from the date of election of the returned candidate lodge account of his/her election expenses with the District Election Officer (DEO) which shall be in a true copy of the account kept by him/her or by his/her election agent under Section 77;

AND WHEREAS, as per the report under rule 89(2) of the Conduct of Election Rules, 1961, submitted by the District Election Officer, Dadra and Nagar Haveli, through the Chief Electoral Officer's letter No. ADM/Election/2019/37 dated 08.07.2019, **Dongarkar Ishwarbhai Gopjibhai** contesting candidate from U-03- Dadra and Nagar Haveli Parliamentary Constituency of Union Territory of Dadra and Nagar Haveli, has failed to lodge any account of his/her election expenses as required by law;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Dadra and Nagar Haveli, a Show Cause notice dated 10.01.2020 was issued by the Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to **Dongarkar Ishwarbhai Gopjibhai** for non submission of account of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice dated 10.01.2020, **Dongarkar Ishwarbhai Gopjibhai** was directed to submit his/her representation in writing in the Commission explaining the reason for non submission of accounts and also to lodge his/her accounts of election expenses/rectify the defects in his/her accounts and submit the same to the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by **Dongarkar Ishwarbhai Gopjibhai** on 17.01.2020. Acknowledgement receipt obtained from the candidate has been submitted to the Commission by Assistant (Election), Dadra and Nagar Haveli vide his letter No. ADM/Election/571/04/Part-II dated 24.01.2020;

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by Assistant (Election), Dadra and Nagar Haveli vide his letter No. ADM/Election/571/04/Part-II dated 11.02.2020 and 01.12.2020, it has been stated that till date no such representation has been received from **Dongarkar Ishwarbhai Gopjibhai**;

AND WHEREAS, the Commission satisfied that **Dongarkar Ishwarbhai Gopjibhai** has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act; and
- (b) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Dongarkar Ishwarbhai Gopjibhai**, resident of 172, Zhatipada, Dapada, Silvassa, Dadra and Nagar Haveli, Pin Code- 396 230, the contesting candidate for the General Election to the Lok Sabha Election, 2019 from U-03- Dadra and Nagar Haveli Parliamentary Constituency of Union Territory of Dadra and Nagar Haveli to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[No.76/DNH-HP/03/2019]

By Order,

SUMIT MUKHERJEE, Sr. Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 2020

आ. अ. 117.—यतः, आयोग ने संघ प्रदेश दादर एवं नागर हवेली के यू- 03- दादर एवं नागर हवेली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए अपनी अधिसूचना सं.-464/EPs/2019 (3) दिनांक 28.03.2019 के द्वारा लोकसभा के साधारण निर्वाचन, 2019 आयोजित करने की घोषणा की थी और हलपटी राजेशभाई भानाभाई पूर्वोक्त निर्वाचन में निर्वाचन लड़े/लड़ीं थे;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 (1) के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी या तो स्वयं या अपने निर्वाचन एजेंट द्वारा, (वह तिथि जब उसे नाम-निर्देशित किया गया है) और (उसके परिणाम की घोषणा की तिथि), दोनों तारीखें सम्मिलित, के बीच उसके द्वारा या उसके निर्वाचन एजेंट द्वारा उपगत या अधिकृत निर्वाचन संबंधी सभी खर्चों का एक पृथक और सही लेखा रखेगा और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी को दर्ज करेगा जो धारा 77 के अंतर्गत उसके द्वारा अथवा उसके निर्वाचन एजेंट द्वारा रखे गए लेखे की सत्य प्रतिलिपि होगी;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961, के नियम 89 (2) के अधीन, मुख्य निर्वाचन अधिकारी के दिनांक 08.07.2019 के पत्र सं. ADM/Election/2019/37 के जरिए प्राप्त, जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर, दादर एवं नागर हवेली, द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, संघ प्रदेश दादर एवं नागर हवेली के यू- 03- दादर एवं नागर हवेली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, हलपटी राजेशभाई भानाभाई, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे/रहीं हैं;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, दादर एवं नागर हवेली, की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के तहत निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहने पर, हलपटी राजेशभाई भानाभाई को दिनांक 10.01.2020 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (6) के अनुसार, दिनांक 10.01.2020 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के माध्यम से, हलपटी राजेशभाई भानाभाई को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के

प्राप्त होने के 20 दिनों के भीतर लेखे न प्रस्तुत कर पाने का कारण स्पष्ट करते हुए आयोग को लिखित में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और निर्वाचन व्यय का अपना लेखा भी दाखिल करें/अपने लेखे में त्रुटियों को सही करें और उसे संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करें;

और यतः, हलपटी राजेशभाई भानाभाई की पत्नी के द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 17.01.2020 को प्राप्त किया गया था। अभ्यर्थी की पत्नी से प्राप्त पावती रसीद, सहायक (इलेक्शन), दादर एवं नागर हवेली द्वारा दिनांक 24.01.2020 के अपने पत्र सं. ADM/Election/571/04/Part-II द्वारा आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, सहायक (इलेक्शन), दादर एवं नागर हवेली द्वारा दिनांक 11.02.2020 एवं 01.12.2020 के अपने पत्र सं. ADM/Election/571/04/Part-II के द्वारा प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह कहा है कि हलपटी राजेशभाई भानाभाई, ने निर्वाचन का लेखा प्रस्तुत नहीं किया;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि हलपटी राजेशभाई भानाभाई निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं और असफलता के लिए उनके पास कोई समुचित कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उसके पास उस असफलता के लिए कोई समुचित कारण या न्यायोचित्य नहीं है,

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा."

अब इसीलिए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा संघ प्रदेश दादर एवं नागर हवेली के यू- 03- दादर एवं नागर हवेली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, हलपटी राजेशभाई भानाभाई, निवासी- 350/2, काकड़ फालिया, दादरा- 2, दादर एवं नागर हवेली, को संसद के किसी भी सदन या राज्य या संघ राज्य-क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद के लिए सदस्य चुने जाने या होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं. 76/डी.एन.एच.-एच.पी./03/2019]

आदेश से,

सुमित मुखर्जी, वरिष्ठ प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 7th December, 2020

O.N. 117.—WHEREAS, the Commission had declared to hold the General Election to Lok Sabha, 2019 vide its Notification No.464/EPs/2019 (3) dated 28.03.2019 for U-03- Dadra and Nagar Haveli Parliamentary Constituency of Union Territory of Dadra and Nagar Haveli and **Halpati Rajeshbhai Bhanabhai** had contested the aforesaid election;

AND WHEREAS, as per Section 77 (1) of the Representation of the People Act, 1951, every candidate at election shall, either by himself/herself or by his/her election agent, keep a separate and correct account of all expenditure in connection with the election incurred or authorized by him/her or by his/her election agent between (the date on which he has been nominated) and the date of declaration of the result thereof, both dates inclusive & as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within thirty days from the date of election of the returned candidate lodge account of his/her election expenses with the District Election Officer (DEO) which shall be in a true copy of the account kept by him/her or by his/her election agent under Section 77;

AND WHEREAS, as per the report under rule 89(2) of the Conduct of Election Rules, 1961, submitted by the District Election Officer, Dadra and Nagar Haveli, through the Chief Electoral Officer's letter No. ADM/Election/2019/37 dated 08.07.2019, **Halpati Rajeshbhai Bhanabhai** contesting candidate from U-03- Dadra and Nagar Haveli Parliamentary Constituency of Union Territory of Dadra and Nagar Haveli, has failed to lodge any account of his/her elections expenses as required by law;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Dadra and Nagar Haveli, a Show Cause notice dated 10.01.2020 was issued by the Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 to **Halpati Rajeshbhai Bhanabhai** for non submission of account of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice dated 10.01.2020, **Halpati Rajeshbhai Bhanabhai** was directed to submit his/her representation in writing in the Commission explaining the reason for non submission of accounts and also to lodge his/her accounts of election expenses/rectify the defects in his/her accounts and submit the same to the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by the wife of **Halpati Rajeshbhai Bhanabhai** on 17.01.2020. Acknowledgement receipt obtained from his wife has been submitted to the Commission by Assistant (Election), Dadra and Nagar Haveli vide his letter No. ADM/Election/571/04/Part-II dated 24.01.2020;

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by Assistant (Election), Dadra and Nagar Haveli vide his letter No. ADM/Election/571/04/Part-II dated 11.02.2020 and 01.12.2020, it has been stated that till date no such representation has been received from **Halpati Rajeshbhai Bhanabhai**;

AND WHEREAS, the Commission satisfied that **Halpati Rajeshbhai Bhanabhai** has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act; and
- (b) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order."

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Halpati Rajeshbhai Bhanabhai**, resident of 350/2, Kakad Falia, Dadra-2, Dadra and Nagar Haveli, the contesting candidate for the General Election to the Lok Sabha Election, 2019 from U-03- Dadra and Nagar Haveli Parliamentary Constituency of Union Territory of Dadra and Nagar Haveli to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[No.76/DNH-HP/03/2019]

By Order,

SUMIT MUKHERJEE, Sr. Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 2020

आ. अ. 118.—यतः, आयोग ने महाराष्ट्र के 43-माधा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए अपनी अधिसूचना सं.-464/EPS/2019 (3) दिनांक 28.03.2019 के द्वारा लोकसभा के साधारण निर्वाचन, 2019 आयोजित करने की घोषणा की थी और संतोष बालासाहेब बिचुकाले पूर्वोक्त निर्वाचन में निर्वाचन लड़े/लड़ीं थे;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 (1) के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी या तो स्वयं या अपने निर्वाचन एजेंट द्वारा, (वह तिथि जब उसे नाम-निर्देशित किया गया है) और (उसके परिणाम की घोषणा की तिथि), दोनों तारीखें सम्मिलित, के बीच उसके द्वारा या उसके निर्वाचन एजेंट द्वारा उपगत या अधिकृत निर्वाचन संबंधी सभी खर्चों का एक पृथक और सही लेखा रखेगा और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय का लेखा जिला

निर्वाचन अधिकारी को दर्ज करेगा जो धारा 77 के अंतर्गत उसके द्वारा अथवा उसके निर्वाचन एजेंट द्वारा रखे गए लेखे की सत्य प्रतिलिपि होगी;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961, के नियम 89 (2) के अधीन, मुख्य निर्वाचन अधिकारी के दिनांक **15.09.2019** के पत्र सं. **ELR-2019/CR 804/19/33** के जरिए प्राप्त, जिला निर्वाचन अधिकारी, सोलापुर जिला, महाराष्ट्र द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, महाराष्ट्र के **43-माधा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र** से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, **संतोष बालासाहेब बिचुकाले**, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे/रहीं हैं;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, सोलापुर जिला, महाराष्ट्र, की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के तहत निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहने पर, **संतोष बालासाहेब बिचुकाले** को दिनांक **15.11.2019** को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (6) के अनुसार, दिनांक **15.11.2019** के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के माध्यम से, **संतोष बालासाहेब बिचुकाले** को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के भीतर लेखे न प्रस्तुत कर पाने का कारण स्पष्ट करते हुए आयोग को लिखित में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और निर्वाचन व्यय का अपना लेखा भी दाखिल करें/अपने लेखे में त्रुटियों को सही करें और उसे संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करें;

और यतः, **संतोष बालासाहेब बिचुकाले** की माता द्वारा उक्त नोटिस दिनांक **27.11.2019** को प्राप्त किया गया था। अभ्यर्थी की माता से प्राप्त पावती रसीद, जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर, सोलापुर जिला द्वारा दिनांक **02.12.2019** के अपने पत्र सं. **Election/Desk/16/Misc./RR/1743/2019** द्वारा आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, सोलापुर द्वारा दिनांक **31.07.2020** के अपने पत्र सं. **Election/Desk/16/Misc./RR/283/2020** के द्वारा प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह कहा है कि **संतोष बालासाहेब बिचुकाले**, ने निर्वाचन का लेखा प्रस्तुत नहीं किया;

और यतः, भारत निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि **संतोष बालासाहेब बिचुकाले** निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं और असफलता के लिए उनके पास कोई समुचित कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उसके पास उस असफलता के लिए कोई समुचित कारण या न्यायोचित्य नहीं है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा".

अब इसीलिए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा महाराष्ट्र राज्य के **43-माधा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र** से लोकसभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, **संतोष बालासाहेब बिचुकाले**, निवासी- 35-भड़कमकर नगर, पोलीस कोलोनी के पास, फलटन. ता. फलटन. जिला- सतारा, पिन- 415 523, को संसद के किसी भी सदन या राज्य या संघ राज्य-क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद के लिए सदस्य चुने जाने या होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं. 76/एम.टी.-एच.पी./43/2019]

आदेश से,

ए.एन.दास, सचिव

ORDER

New Delhi, the 7th December, 2020

O.N. 118.— WHEREAS, the Commission had declared to hold the General Election to Lok Sabha, 2019 vide its Notification No.464/EPS/2019 (3) dated 28.03.2019 for 43- Madha Parliamentary Constituency of Maharashtra State and **Santosh Balasaheb Bichukale** had contested the aforesaid election;

AND WHEREAS, as per Section 77 (1) of the Representation of the People Act, 1951, every candidate at election shall, either by himself/herself or by his/her election agent, keep a separate and correct account of all expenditure in connection with the election incurred or authorized by him/her or by his/her election agent between (the date on which he has been nominated) and the date of declaration of the result thereof, both dates inclusive & as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within thirty days from the date of election of the returned candidate lodge account of his/her election expenses with the District Election Officer (DEO) which shall be in a true copy of the account kept by him/her or by his/her election agent under Section 77;

AND WHEREAS, as per the report under rule 89(2) of the Conduct of Elections Rules, 1961, submitted by the District Election Officer and Collector, Solapur District, Maharashtra, through the Chief Electoral Officer's letter. ELR-2019/CR 804/19/33 dated 15.09.2019, **Santosh Balasaheb Bichukale** contesting candidate from 43- Madha Parliamentary Constituency of Maharashtra, has failed to lodge any account of his/her election expenses as required by law;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Solapur District, Maharashtra, a Show Cause notice dated 15.11.2019 was issued by the Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 to **Santosh Balasaheb Bichukale** for non submission of account of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice dated 15.11.2019, **Santosh Balasaheb Bichukale** was directed to submit his/her representation in writing in the Commission explaining the reason for non submission of accounts and also to lodge his/her accounts of election expenses/rectify the defects in his/her accounts and submit the same to the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by the mother of **Santosh Balasaheb Bichukale** on 27.11.2019. Acknowledgement receipt obtained from the candidate's mother has been submitted to the Commission by District Election officer and Collector, Solapur District vide his letter No. Election/Desk/16/Misc/RR/1743/2019 dated 02.12.2019;

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by DEO, Solapur vide his letter No. Election/Desk/16/Misc/RR/283/2020 dated 31.07.2020, it has been stated that **Santosh Balasaheb Bichukale** has not submitted the election expenses;

AND WHEREAS, the Commission satisfied that **Santosh Balasaheb Bichukale** has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act; and
- (b) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order."

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Santosh Balasaheb Bichukale**, resident of 35-Bhadrkamkar Nagar, Near Police Colony, Phaltan, Tal. Phaltan, Dist- Satara, Pin- 415 523, the contesting candidate for the General Election to the Lok Sabha Election, 2019 from 43- Madha Parliamentary Constituency of the State of Maharashtra to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[No.76/MT-HP/43/2019]

By Order,

A.N. DAS, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 2020

आ. अ. 119.—यतः, आयोग ने महाराष्ट्र के **13- चंद्रपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र** के लिए अपनी अधिसूचना सं.-464/EPS/2019(1) दिनांक 18.03.2019 के द्वारा लोकसभा के साधारण निर्वाचन, 2019 आयोजित करने की घोषणा की थी और **मधुकर विठ्ठल निस्ताने** पूर्वोक्त निर्वाचन में निर्वाचन लड़े/लड़ीं थे;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 (1) के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी या तो स्वयं या अपने निर्वाचन एजेंट द्वारा, (वह तिथि जब उसे नाम-निर्देशित किया गया है) और (उसके परिणाम की घोषणा की तिथि), दोनों तारीखें सम्मिलित, के बीच उसके द्वारा या उसके निर्वाचन एजेंट द्वारा उपगत या अधिकृत निर्वाचन संबंधी सभी खर्चों का एक पृथक और सही लेखा रखेगा और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी को दर्ज करेगा जो धारा 77 के अंतर्गत उसके द्वारा अथवा उसके निर्वाचन एजेंट द्वारा रखे गए लेखे की सत्य प्रतिलिपि होगी;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961, के नियम 89 (2) के अधीन, मुख्य निर्वाचन अधिकारी के दिनांक **15.09.2019** के पत्र सं. **ELR-2019/CR 804/19/33** के जरिए प्राप्त, जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर, **चंद्रपुर जिला**, महाराष्ट्र द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, महाराष्ट्र के **13- चंद्रपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र** से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, **मधुकर विठ्ठल निस्ताने**, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे/रहीं हैं;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **चंद्रपुर जिला**, महाराष्ट्र, की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के तहत निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहने पर, **मधुकर विठ्ठल निस्ताने** को दिनांक **21.11.2019** को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (6) के अनुसार, दिनांक **21.11.2019** के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के माध्यम से, **मधुकर विठ्ठल निस्ताने** को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के भीतर लेखे न प्रस्तुत कर पाने का कारण स्पष्ट करते हुए आयोग को लिखित में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और निर्वाचन व्यय का अपना लेखा भी दाखिल करें/अपने लेखे में त्रुटियों को सही करें और उसे संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करें;

और यतः, **मधुकर विठ्ठल निस्ताने** द्वारा द्वारा उक्त नोटिस दिनांक **10.12.2019** को प्राप्त किया गया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद, जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर, **चंद्रपुर जिला** द्वारा दिनांक **31.12.2019** के अपने पत्र सं. **GB./Desk-XII/T-I/ELE/2019/3455** द्वारा आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **चंद्रपुर** द्वारा दिनांक **19.03.2020** के अपने पत्र सं. **GB./Desk-XII/T-I/ELE/2020/324** के द्वारा प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह कहा है कि **मधुकर विठ्ठल निस्ताने**, ने निर्वाचन का लेखा प्रस्तुत नहीं किया;

और यतः, भारत निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि **मधुकर विठ्ठल निस्ताने** निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं और असफलता के लिए उनके पास कोई समुचित कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उसके पास उस असफलता के लिए कोई समुचित कारण या न्यायोचित्य नहीं है,

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा”.

अब इसीलिए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा महाराष्ट्र राज्य के 13- चंद्रपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, **मधुकर विठ्ठल निस्ताने**, गजानन महाराज वार्ड, वसन्त नगर घटांजी, पोस्ट-घटांजी, ता. घटांजी, जिला- यवतमाल, को संसद के किसी भी सदन या राज्य या संघ राज्य-क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद के लिए सदस्य चुने जाने या होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं. 76/एम.टी.-एच.पी./13/2019]

आदेश से,

ए.एन.दास, सचिव

ORDER

New Delhi, the 7th December, 2020

O.N. 119.— WHEREAS, the Commission had declared to hold the General Election to Lok Sabha, 2019 vide its Notification No.464/EP/2019 (1) dated 18.03.2019 for 13- Chandrapur Parliamentary Constituency of Maharashtra State and **Madhukar Vitthal Nistane** had contested the aforesaid election;

AND WHEREAS, as per Section 77 (1) of the Representation of the People Act, 1951, every candidate at election shall, either by himself/herself or by his/her election agent, keep a separate and correct account of all expenditure in connection with the election incurred or authorized by him/her or by his/her election agent between (the date on which he has been nominated) and the date of declaration of the result thereof, both dates inclusive & as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within thirty days from the date of election of the returned candidate lodge account of his/her election expenses with the District Election Officer (DEO) which shall be in a true copy of the account kept by him/her or by his/her election agent under Section 77;

AND WHEREAS, as per the report under rule 89(2) of the Conduct of Elections Rules, 1961, submitted by the District Election Officer and Collector, Chandrapur District, Maharashtra, through the Chief Electoral Officer's letter No. ELR-2019/CR 804/19/33 dated 15.09.2019, **Madhukar Vitthal Nistane** contesting candidate from 13- Chandrapur Parliamentary Constituency of Maharashtra, has failed to lodge any account of his/her election expenses as required by law;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Chandrapur District, Maharashtra, a Show Cause notice dated 21.11.2019 was issued by the Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 to **Madhukar Vitthal Nistane** for non submission of account of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice dated 21.11.2019, **Madhukar Vitthal Nistane** was directed to submit his/her representation in writing in the Commission explaining the reason for non submission of accounts and also to lodge his/her accounts of election expenses/rectify the defects in his/her accounts and submit the same to the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by **Madhukar Vitthal Nistane** on 10.12.2019. Acknowledgement receipt obtained from the candidate has been submitted to the Commission by District Election officer and Collector, Chandrapur District vide his letter No GB./Desk-XII/T-I/ELE/2019/3455 dated 31.12.2019;

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by DEO, Chandrapur vide his letter No. GB./Desk-XII/T-I/ele/T-I/2020/324 dated 19.03.2020, it has been stated that **Madhukar Vitthal Nistane** has not submitted the election expenses;

AND WHEREAS, the Commission satisfied that **Madhukar Vitthal Nistane** has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act; and
- (b) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Madhukar Vitthal Nistane**, resident of Gajanan Maharaj Ward, Vasant Nagar Ghatanji, Post- Ghatanji, Ta. Ghatanji, Dist- Yavatmal the contesting candidate for the General Election to the Lok Sabha Election, 2019 from 13- Chandrapur Parliamentary Constituency of the State of Maharashtra to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[No.76/MT-HP/13/2019]

By Order,

A.N.DAS, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 2020

आ. अ. 120.—यतः, आयोग ने महाराष्ट्र के **02- धुले संसदीय निर्वाचन क्षेत्र** के लिए अपनी अधिसूचना सं.- 464/EPS/2019 (4) दिनांक 02.04.2019 के द्वारा लोकसभा के साधारण निर्वाचन, 2019 आयोजित करने की घोषणा की थी और **मेवाती हिना यूसूफभाई** पूर्वोक्त निर्वाचन में निर्वाचन लड़े/लड़ीं थे;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 (1) के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी या तो स्वयं या अपने निर्वाचन एजेंट द्वारा, (वह तिथि जब उसे नाम-निर्देशित किया गया है) और (उसके परिणाम की घोषणा की तिथि), दोनों तारीखें सम्मिलित, के बीच उसके द्वारा या उसके निर्वाचन एजेंट द्वारा उपगत या अधिकृत निर्वाचन संबंधी सभी खर्चों का एक पृथक और सही लेखा रखेगा और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी को दर्ज करेगा जो धारा 77 के अंतर्गत उसके द्वारा अथवा उसके निर्वाचन एजेंट द्वारा रखे गए लेखे की सत्य प्रतिलिपि होगी;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961, के नियम 89 (2) के अधीन, मुख्य निर्वाचन अधिकारी के दिनांक **10.10.2019** के पत्र सं. **ELR-2019/CR 804/19/33** के जरिए प्राप्त, जिला निर्वाचन अधिकारी, **धुले जिला**, महाराष्ट्र द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, महाराष्ट्र के **02- धुले संसदीय निर्वाचन क्षेत्र** से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, **मेवाती हिना यूसूफभाई**, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे/रहीं हैं;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **धुले जिला**, महाराष्ट्र, की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के तहत निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहने पर, **मेवाती हिना यूसूफभाई** को दिनांक **14.01.2020** को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (6) के अनुसार, दिनांक **14.01.2020** के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के माध्यम से, **मेवाती हिना यूसूफभाई** को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के भीतर लेखे न प्रस्तुत कर पाने का कारण स्पष्ट करते हुए आयोग को लिखित में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और निर्वाचन व्यय का अपना लेखा भी दाखिल करें/अपने लेखे में त्रुटियों को सही करें और उसे संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करें;

और यतः, मेवाती हिना यूसूफभाई द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 26.01.2020 को प्राप्त किया गया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद, जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर, धुले जिला द्वारा दिनांक 29.01.2020 के अपने पत्र सं. G/Cell-11/Election/WS/70/2020 द्वारा आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, धुले द्वारा दिनांक 19.03.2020 के अपने पत्र सं. G/Cell-11/Election/WS/171/2020 के द्वारा प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह कहा है कि मेवाती हिना यूसूफभाई, ने निर्वाचन का लेखा प्रस्तुत नहीं किया;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि मेवाती हिना यूसूफभाई निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं और असफलता के लिए उनके पास कोई समुचित कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उसके पास उस असफलता के लिए कोई समुचित कारण या न्यायोचित्य नहीं है,

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।"

अब इसीलिए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा महाराष्ट्र राज्य के 02- धुले संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, मेवाती हिना यूसूफभाई, निवासी- 401, बारासाचा चौक, रायपुर मिल के पास, सरसपुर, अहमदाबाद - 380 018, को संसद के किसी भी सदन या राज्य या संघ राज्य-क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद के लिए सदस्य चुने जाने या होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं. 76/एम.टी.-एच.पी./2/2019]

आदेश से,

ए.एन.दास, सचिव

ORDER

New Delhi, the 7th December, 2020

O.N. 120.— WHEREAS, the Commission had declared to hold the General Election to Lok Sabha, 2019 vide its Notification No.464/EPs/2019 (4) dated 02.04.2019 for 02- Dhule Parliamentary Constituency of Maharashtra State and **Mevati Hina Yusufbhai** had contested the aforesaid election;

AND WHEREAS, as per Section 77 (1) of the Representation of the People Act, 1951, every candidate at election shall, either by himself/herself or by his/her election agent, keep a separate and correct account of all expenditure in connection with the election incurred or authorized by him/her or by his/her election agent between (the date on which he has been nominated) and the date of declaration of the result thereof, both dates inclusive & as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within thirty days from the date of election of the returned candidate lodge account of his/her election expenses with the District Election Officer (DEO) which shall be in a true copy of the account kept by him/her or by his/her election agent under Section 77;

AND WHEREAS, as per the report under rule 89(2) of the Conduct of Elections Rules, 1961, submitted by the District Election Officer and Collector, Dhule District, Maharashtra, through the Chief Electoral Officer's letter No. ELR-2019/CR 804/19/33 dated 10.10.2019 **Mevati Hina Yusufbhai** contesting candidate from 02- Dhule Parliamentary Constituency of Maharashtra, has failed to lodge any account of his/her election expenses as required by law;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Dhule District, Maharashtra, a Show Cause notice dated 14.01.2020 was issued by the Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 to **Mevati Hina Yusufbhai** for non submission of account of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice dated 14.01.2020, **Mevati Hina Yusufbhai** was directed to submit his/her representation in writing in the Commission explaining the reason for non submission of accounts and also to lodge his/her accounts of election expenses/rectify the defects in his/her accounts and submit the same to the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by **Mevati Hina Yusufbhai** on 26.01.2020. Acknowledgement receipt obtained from the candidate has been submitted to the Commission by District Election officer and Collector, Dhule District vide his letter No. G/Cell-11/Election/WS/70/2020 dated 29.01.2020;

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by DEO, Dhule vide his letter No. G/Cell-11/Election/WS/171/2020 dated 19.03.2020, it has been stated that **Mevati Hina Yusufbhai** did not submitted any reply or concerned report with reference to served show Cause notice;

AND WHEREAS, the Commission satisfied that **Mevati Hina Yusufbhai** has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act; and
- (b) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Mevati Hina Yusufbhai**, resident of 401, Barasacha Chauk, Near Raipur Mill, Saraspur, Ahemadabad- 380 018, the contesting candidate for the General Election to the Lok Sabha Election, 2019 from 02- Dhule Parliamentary Constituency of the state of Maharashtra to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[No.76/MT-HP/2/2019]

By Order,

A.N.DAS, Secy.